

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 83 तारीख दायर 29.01.2021 निर्णय दिनांक 23.03.2021

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हल्का फिरोजपुर बनाम राधेश्याम सिंह वगै०

आज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का सम्वत् 2077 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिज बेदखली है।


अतः आदेश है कि:-

गैरसायल श्री राधेश्याम सिंह, दौलत सिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी होदायली को आराजी खसरा न० 235 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म सिवायचक वाके ग्राम होदायली से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 1.04 की 50 गुणा में मु० 52 रुपये कायमी कराई जावें TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगों को लिखा जावे।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या...०१...सि. नं. 52/-
राशि कायम किये गये। रु. 1100/-

त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
राजगढ़ (अलवर)